(7)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 03/2019(आरसीएमएस संख्या : 2019/00014)
सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. जगदीश दत्तक पुत्र श्री नाथू, जाति–मीणा, निवासी–चित्तौडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. कल्लू पुत्र श्री बागा, जाति–मीणा, निवासी–चित्तौडा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 24.12.2019**

तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि ग्राम–चित्तौडा की आराजी खसरा नं0 1431 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री जी के नाम बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री जी बहतमाम पुजारी के बजाय निजी खातेदारी में दर्ज कर दी गई जिसे वापिस माफी मन्दिर श्री जी के नाम लगाई जावे, इस आशय का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 25.04.2007 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेन्स स्वीकार किये जाने की राय से भेजा गया जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के रेफरेन्स संख्या रेफरेन्स /एलआर/5859/2007/जयपुर उनवानी सरकार बनाम जगदीश में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2018 के इस निर्देश के साथ वापिस प्राप्त हुआ कि जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2020 तक की जमाबन्दीयों व खसरा गिरदावरियों का परीक्षण कर पुनः उभय–पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें और आवश्यक होने पर पुनः रेफरेन्स प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। माननीय राजस्व मण्डल की आज्ञा दिनांक 31.12.2018 की अनुपालना में तहसीलदार, फागी द्वारा पुनः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री जी बहतमाम पुजारी साकिन डिग्गी व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषि काल में नाथू व कालू पि0 बागा, जाति–मीणा साकिन देह ब0हि0 बराबर मु0 कदीम दर्ज थी, जमाबन्दी सम्वत् 2011–2014, सम्वत् 2019–2022 के कॉलम संख्या 4 व सम्वत् 2044–2047, 2056–2059 के कॉलम संख्या 3 नाम भूमि अधिकारी में माफी मन्दिर श्री जी बहतमाम पुजारी साकिन डिगी व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 लगायत 2019 के कॉलम संख्या 5 नाम भूमिधारी में माफी श्री जी साकिन डिग्गी दर्ज है अर्थात सम्वत् 2011 से लगातार सम्वत् 2059 तक माफी मन्दिर श्री जी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी परन्तु नामान्तरकरण संख्या 778 जो कि विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 28.05.1984 के द्वारा नाथू की विरासत से जगदीश दत्तक पुत्र नाथू हिस्सा 1/2 स्वीकार किया गया और सम्वत् 2060–2063 के खाता संख्या 116 में माफी मन्दिर श्री जी बहतमाम पुजारी डिग्गी विलोपित कर दिया गया एवं इस खाते के कॉलम संख्या 3 में भूमिधारक का नाम राजस्थान सरकार एवं कॉलम संख्या 4 में काश्तकार का नाम जगदीश पुत्र नाथू हिस्सा 1/2 कल्लू पुत्र बागा हिस्सा 1/2 जाति–मीणा दर्ज रिकार्ड किया गया है जो जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 155 में लगातार चला आ रहा है। नामान्तरकरण संख्या–778 द्वारा नाथू की विरासत का नामान्तरकरण जगदीश के नाम स्वीकार किया गया है और सम्वत् 2060–2063 में माफी मन्दिर का नाम बिलकुल ही विलोपित कर दिया गया है जो बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया है माफी मन्दिर श्री जी की आराजी का हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा पुजारी अथवा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे। वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2011–2014, सम्वत् 2019–2022 के कॉलम संख्या 4 व सम्वत् 2044–2047, 2056–2059 के कॉलम संख्या 3 नाम भूमि अधिकारी में माफी मन्दिर श्री जी बहतमाम

पुजारी साकिन डिग्गी व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 लगायत 2019 के कॉलम संख्या 5 नाम भूमिधारी में माफी श्री जी साकिन डिग्गी दर्ज है अर्थात सम्वत् 2011 से लगातार सम्वत् 2059 तक माफी मन्दिर श्री जी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी परन्तु इसके पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 माफी मन्दिर का नाम बिलकुल ही विलोपित कर दिया गया है जो बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया है अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री जी बहतमाम पुजारी साकिन डिग्गी व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषि काल में नाथू व कालू पि0 बागा, जाति–मीणा साकिन देह ब0हि0 बराबर मु0 कदीम दर्ज थी, जमाबन्दी सम्वत् 2011–2014, सम्वत् 2019–2022 के कॉलम संख्या 4 व सम्वत् 2044–2047, 2056–2059 के कॉलम संख्या 3 नाम भूमि अधिकारी में माफी मन्दिर श्री जी बहतमाम पुजारी साकिन डिगी व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 लगायत 2019 के कॉलम संख्या 5 नाम भूमिधारी में माफी श्री जी साकिन डिग्गी दर्ज है अर्थात सम्वत् 2011 से लगातार सम्वत् 2059 तक माफी मन्दिर श्री जी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी परन्तु नामान्तरकरण संख्या 778 जो कि विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 28.05.1984 के द्वारा नाथू की विरासत से जगदीश दत्तक पुत्र नाथू हिस्सा 1/2 स्वीकार किया गया और सम्वत् 2060–2063 के खाता संख्या 116 में माफी मन्दिर श्री जी बहतमाम पुजारी डिग्गी विलोपित कर दिया गया एवं इस खाते के कॉलम संख्या 3 में भूमिधारक का नाम राजस्थान सरकार एवं कॉलम संख्या 4 में काश्तकार का नाम जगदीश पुत्र नाथू हिस्सा 1/2 कल्लू पुत्र बागा हिस्सा 1/2 जाति–मीणा दर्ज रिकार्ड किया गया है जो जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 155 में लगातार चला आ रहा है। नामान्तरकरण संख्या–778 द्वारा नाथू की विरासत का नामान्तरकरण जगदीश के नाम स्वीकार किया गया है और सम्वत् 2060–2063 में माफी मन्दिर का नाम बिलकुल ही विलोपित कर दिया गया है। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक

शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में प्राप्त हैं। माफी मन्दिर श्री जी की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति अथवा पुजारी द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री जी की भूमि का इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 778 द्वारा निजी विरासत का तथा जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 में माफी मन्दिर श्री जी का नाम बिलकुल ही विलोपित कर निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज ग्राम चित्तौडा वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 24.03.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर